कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक/ 2200 /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 26 मार्च, 2020

" कर्फ्यू आदेश "

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा से उत्पन्न खतरे के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने एवं सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक अलगाव) के उद्देश्य से सिवनी नगर पालिका सीमा के अंतर्गत सघन जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए और लोक जीवन की सुरक्षा सख्ती से कराया जाना अनिवार्य हो गया है। अतएव, मुझे इस बात की संतुष्टी हुई है कि सिवनी नगर पालिका सीमा में तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में कर्फ्यू लगाकर, कर्फ्यू आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।** अतः मैं प्रवीण सिंह अढायच, जिला दण्डाधिकारी, जिला सिवनी एतद् द्वारा यह आदेशित करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के सिवनी जिला राजस्व सीमा में स्थित सडकों पर, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गो अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खडे होने पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। सभी नगर पालिका, सिवनी की सीमा में निवासरत रहवासियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने घरों पर ही रहे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सकें। घरों से निकलना प्रतिबंधित किया जाता है।

उक्त प्रतिबंध के क्रियान्वयन से निम्नानुसार छूट का प्रावधान किया जाता है –

1. शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारी/अनय अमला ।
2. पुलिस बल, नगर पालिका, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इन्टरनेट/टेलीकॉम सर्विस प्रोवाईडर।
3. किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा , फायर ब्रिगेड ।
4. लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण ।
5. आवश्यक वस्तुओं की घर पहूँच सेवा/होम डिलेवरी में लगे कर्मचारियों तथा रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था ।
6. इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया (मीडिया संस्थान द्वारा जारी वैद्य आई कार्ड धारी, मात्र कवरेज उद्देश्य हेतु)
7. दवा दुकानें ।
8. समस्त प्रकार के ईधर परिवहन के साधन एवं भंडारण डिपो ।
9. वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी ।
10. शव यात्रा व शव वाहन (अधिकतम 10 व्यक्ति सम्मिलित रहेगें)
11. बैंक, एल.आई.सी., ए.टी.एम.
12. दवा, सेनेटाईजर, मास्क एवं चिकित्सीय उपकरण, दवा में उपयोग में लायी जा रही कच्ची सामग्री एवं उक्त प्रतिष्ठानों/निर्माण इकाई में कार्यरत कर्मियों एवं निमिर्त सामग्री अथवा उत्पादन/कच्ची सामग्री पर लागू नहीं होगें ।
13. सक्षम प्राधिकारी (कलेक्टर/अपर कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा जारी वैद्य पास/ अनुमतियांधारी
14. फसल कटाई कार्य में अधिकतम 5 व्यक्ति एवं हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा थ्रेसर आदि मशीनों से फसल कटाई हेतु अधीकतम 5 व्यक्ति ।

दैनिक जीवन की आवश्यक/बुनियादी आवश्यकता से सम्बंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ आदि के सम्बंध में समय-समय पर पृथक से निर्देश जारी किए जायेगें।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामानय व इससे सम्बंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जायेगा । ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश दिनांक 26/03/2020 की रात्रि 08-00 बजे से दिनांक 31/03/2020 की रात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगा ।

(प्रवीण सिंह अढायच)
जिला दण्डाधिकारी
सिवनी

पृ.क्रमांक/ 2200-A /एस.डब्ल्यू./2020 सिवनी, दिनांक 26 मार्च, 2020

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, स्कूल शिखा मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
6. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर ।
8. उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाडा।
9. पुलिस अधीक्षक सिवनी ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी ।
11. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, सिवनी ।
12. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी,जिला सिवनी ।
13. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, सिवनी।
14. समस्त एस.डी.ओ (पुलिस) जिला सिवनी ।
15. थाना प्रभारी, थाना .... जिला सिवनी की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कडाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित ।
16. उप संचालक, जन संपर्क सिवनी की ओर आदेश का प्रकाशन हे अग्रेषित ।
17. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. कलेक्टोरेट, सिवनी की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी ।
19. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी ।
20. सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, सिवनी ।
21. जिला परिवहन अधिकारी, सिवनी ।
22. जिला आपूर्ति अधिकारी, सिवनी ।
23. सम्बंधित समस्त अधिकारी ।

जिला दण्डाधिकारी
सिवनी